प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

१. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है जिससे वे उत्तम रोजगार प्राप्त कर सकें| साथ ही हुनरमंद लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान करना है| योजना २०१६ से २०२० तक चलेगी| इसके लिए केंद्र सरकार ने १५ हजार करोड़ रु. की राशि का आवंटन किया है|

केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से शहरों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की है| यहाँ से प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र लेकर सम्बंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदक बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकता है|

२. **आवश्यक दस्तावेज** :- प्रशिक्षण केंद्र पर पंजीयन आवश्यक है जिसके लिए निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी|

(i) आधार कार्ड

(ii) स्वयं के २ फोटो

३. आवेदन कैसे करें

- इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए सबसे पहले http://pmkvyofficial.org वेबसाइट पर जाएँ|
- उसके बाद Find a Center पर क्लिक करें|
- फिर अपने सर्च फ़िल्टर करें अर्थात आवेदक कौन सी ट्रेनिंग कौन से राज्य के कौन से जिले के कौन से शहर में चाहता है|
- उसके बाद Find Now पर क्लिक करें तो परिणाम अर्थात ट्रेनिंग सेंटर पर उपलब्ध होंगे| उनसे बात कीजिए और प्रशिक्षण लेने की प्रक्रिया जानें और प्रशिक्षण लेना शुरू करें|

इस योजना के साथ जुड़कर अपने आपमें कौशल पैदा कर, उस कौशल का प्रमाण पत्र लेकर अपनी आजीविका की तलाश कर सकते हैं या खुद का उद्यम स्थापित कर सकते हैं|

जो व्यक्ति कौशल विकास योजना के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं| उनको प्रमाण पत्र के अलावा कुछ नकद राशि (Reward) भी प्रदान की जाएगी जो कि अलग-अलग प्रशिक्षणों में अलग-अलग होगी| इस सम्बन्ध में जानकारी प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त की जा सकती है|

4. योजना की विशेषताएँ

i. इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण उद्योग जगत से जुडी राष्ट्रीय निकायों के मानकों के आधार पर दिया जाएगा| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत यदि कोई तीसरा पक्ष अर्थात प्रशिक्षण देने वाली संस्था इत्यादि सरकार के कौशल विकास अभियान से जुड़ेगी तो उसका मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर किया जाएगा| जिससे प्रशिक्षण लेने वालों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण मिल सके|

ii. प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं या एजेंसी को क्षेत्रों की औद्योगिक एवं व्यावसायिक जरूरतों के हिसाब से लक्ष्य दिया जाएगा| जैसे कौन से काम का प्रशिक्षण कौन से जिले या कौन से शहर में देना है इत्यादि|

iii. इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अभियानों, योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, नेशनल सोलर मिशन, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया इत्यादि को ध्यान में रखकर ही व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा|

iv. इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो काम तो जानते हैं लेकिन उसका प्रमाण पत्र न होने की वजह से उस काम की उनके पास मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए वे अनौपचारिक कामों में लग जाते हैं| वे भी अपने हुनर को बढ़ाकर उसका प्रमाण-पत्र हासिल कर सकते हैं|

6. प्रक्रिया :-

निम्न प्रक्रिया के जरिये योग्य उम्मीदवार का योजना के अंतर्गत पंजीयन किया जाएगा| इसके बाद उसे skill training दी जाएगी तथा Reward और प्रमाण पत्र दिया जाएगा:

- प्रशिक्षुओं को अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र और प्रशिक्षण साझेदार के साथ प्रशिक्षण कोर्स के लिए पंजीकरण कराना होगा|
- प्रशिक्षण साझेदार सभी प्रत्याशियों से उनकी जानकारी हासिल कर एसडीएमएस पर दर्ज करेगा और प्रशिक्षण साझेदार की मदद से उन्हें सम्बंधित केंद्र पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा तथा प्रशिक्षण Assessment करेगा|
- Assessment पूरा होने के बाद प्रशिक्षु को प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र प्राप्त होगा|
- प्रशिक्षु को प्रमाण पत्र देने के बाद NSDC (कौशल विकास केंद्र) reward की राशि देगा|
- इसके बाद प्रत्याशी चाहे तो स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए ऋण के लिए आवेदन भी कर सकता है|

७. टोल फ्री नंबर

- योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर ०८८०००- ५५५५५ पर संपर्क किया जा सकता है|

Disclaimer : यह जानकारी http://pmjandhanyojana.co.in/kaushal-vikas-yojana-pmkvy/ तथा अन्य स्रोतों से समेकित की गई है| इसका उद्देश्य सामान्य जन को इस योजना की जानकारी प्रदान करना है| विस्तृत जानकारी उपरोक्त वर्णित टोल फ्री न. से प्राप्त की जा सकती है| किसी भी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास के लिए गोयल चैरिटीज एसोसिएशन उत्तरदायी नहीं है|